न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34/2019

1 तिलोकाराम पुत्र सुरजाराम उम्र 60 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा तन लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूणाराम पुत्र गणेशराम जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा तन लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लोसल।
4 उप पंजीयक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ सीकर पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार दावा संख्या 30/2018 बउनवानी तिलोकाराम बनाम भूणाराम आदि निर्णय दिनांक 03.06.2019 अंतिम डिक्री व निर्णय के खिलाफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 524,525 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ़ बाबत बंटवारा उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में पक्षकारो की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2019 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2016 दावा संख्या 236/2016 की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक लोसल द्वारा दिनांक 19.07.2016 फर्द मौका व बंटवारा प्रस्ताव के लिए विवादित भूमियों पर पटवारी हल्का के साथ जाकर प्रस्ताव तैयार किया बताया है तथा रिपोर्ट व बंटवारा प्रस्ताव में खसरा नम्बर 524,525 ग्राम हरिपुरा में उपस्थिति खातेदार/पक्षकारान के कब्जे काश्त व प्राथमिक डिक्री की मन्शा व उसके अनुसार सींव नींव समझाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना बताया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उसमें खसरा नम्बर 524 रकबा 1.89 हैक्टेयर अपीलांट/वादी तथा खसरा नम्बर 525 रकबा 1.90 हैक्टेयर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 बताकर प्रस्ताव बनाया है तथा वादी/अपीलांट को मौके पर उपस्थित बताया है तथा हस्ताक्षर करने से मना किया लिखा है तथा अन्य व्यक्ति घासीराम नाई, राजेन्द्र प्रसाद जाट, गिरधारीलाल, भंवरलाल, आशुराम को मौके पर उपस्थित होना बताया है जो गलत है। पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक कभी मौके पर विवादित भूमि पर उपरोक्त साक्षीगण की उपस्थिति में नही आये उक्त बंटवारा प्रस्तावत भूणाराम के घर बैठकर एक तरफा तैयार किया है। अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया है तथा न ही दिनांक 19.07.2016 को विवादित भूमि पर आकर प्रस्ताव बनाया भूणाराम से तथा उनके मित्र व्यक्ति के हस्ताक्षर उसके घर पर करवाकर मनमाना प्रस्ताव पारित किया हे जिसकी आपत्ति अपीलांट/वादी ने की थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कोई सुनवाई किये बिना ही अंतिम निर्णय व डिक्री मनमानी पारित कर दी। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट ने प्रस्तुत किया था। दिनांक 20.06.2016 को वादी अपीलांट की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। दिनांक 28.05.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति खारिज की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा इस आपत्ति खारिज करने के आदेश के विरूद्व सक्षम स्तर पर निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कथन प्रस्तुत नही किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी अपीलांट विचारण न्यायालय के आपत्ति खारिज करने के आदेश से सन्तुष्ट था। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट ने प्रस्तुत किया था। दिनांक 20.06.2016 को वादी अपीलांट की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। दिनांक 28.05.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति खारिज की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा इस आपत्ति खारिज करने के आदेश के विरूद्व सक्षम स्तर पर निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कथन प्रस्तुत नही किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी अपीलांट विचारण न्यायालय के आपत्ति खारिज करने के आदेश से सन्तुष्ट था। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर